

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 05/12 अ0फो0

संस्थापित दिनांक 15.12.2011

भगतराजा पुत्र श्री मनकुशी आयु 30 वर्ष जाति कुर्मी निवासी ग्राम सक्तू थाना मण्डावला जिला ललितपुर हाल निवासी मुन्ना कवाडी का मकान हरीराम का पुरा थाना मालनपुर परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

----- अपीलार्थी/आरोपी

बनाम

म0प्र0शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र मालनपुर परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

-----रिस्पोंडेंट

आरोपी/अपीलार्थी द्वारा श्री एम0पी0एस0राणा अधिवक्ता ।  
राज्य शासन द्वारा ए0पी0पी0 श्री दीवानसिंह गुर्जर ।

न्यायालय श्री मनीश शर्मा, जे0एम0एफ0सी0 गोहद द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 411/2006 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 24-11-2011 से उत्पन्न दाण्डिक अपील।

// निर्णय //

(आज दिनांक 31-08-2015 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से उक्त दाण्डिक अपील धारा 374(3) द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री मनीश शर्मा द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 411/06 निर्णय दिनांक 24-11-11 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी को धारा 379 भा0द0वि0 के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है एवं आरोपी/अपीलार्थी को 379 भा0द0सं0 के अपराध में छः

माह के सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था ।

02. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि फरियादी कर्नल डी.एन. सिंह मेनेजर सिक्योरिटी एम0पी0 आईरन फैक्ट्री मालनपुर द्वारा एक आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया कि फेक्ट्री में सुबह 5:20 बजे कुछ चोरों ने एमपीएसईबी कॉलोनी की तरफ से कंपनी की बाउण्ड्री बाल की तीन रैलिंग जालियां तोड़ली और आक्सीजन प्लान्ट के पास भिण्ड रोड की तरफ से बाउण्ड्री बाल की दो जालियां(रैलिंग) तोड़ली । उस समय वहां वर्षात हो रही थी, बारिस के थमने पर जब चैकिंग की तो उपरोक्त चोरी का पता चला । बाहर जाने पर एक चोर हाथ ठेले (ढकेल) एक जारी और दो 4 शाखा ले जाता मिला बाकी चोर भाग गये जो चोर पकड़ा उसका नाम भगतराजा पुत्र मनखुशी ग्राम सक्तू थाना मंडावला जिला ललितपुर का बताया । पकड़ते समय चोर भागा तो रोड पर गिर गया जिससे उसके भी चोट लगी हैं । जिस पर थाना मालनपुर में अपराध क्रमांक 70/06 पर पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

03. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी को धारा 379 भा0द0सं0 के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपी को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इन्कार किया, उसका विचारण किया गया विचारण उपरांत आरोपी को धारा 379 भा0द0सं0 के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुये उसे उक्त धारा के अपराध में छः माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था । जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है ।

04. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत किये गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दण्डाज्ञा दिनांक 24-11-11 विधि विधान के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रोडेन्स द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धान्तों के विपरीत निर्णय एवं दण्डाज्ञा पारित की है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का सही ढंग से विवेचना न करते हुये मनमाने तौर से क्यास निकालते हुये निर्णय एवं दण्डाज्ञा पारित की है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अभियोजन साक्ष्य का सूक्ष्मता से परिसीलन नहीं किया है। अभियोजन अपनी साक्ष्य से अभियोजन की कहानी को शंका से परे सिद्ध नहीं कर सकी है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने केवल क्यास के आधार पर आरोपी को दोषी मानकर आलोच्य निर्णय पारित किया जो निरस्ती योग्य है । इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय अपास्त की जावे और अपीलार्थी/आरोपी को दोषमुक्त किया जावे एवं उनका अर्थदण्ड वापिस दिलाया जावे ।

05. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुये उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप एवं फेरबदल न करने का कोई आधार न होना बताते हुये अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

06. अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह है कि—

क्या अधीनस्थ विचारण न्यायालय का दोषसिद्ध आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 06.09.2013 स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किए जाने योग्य है?

### // निष्कर्ष के आधार //

07. अभियोजन प्रकरण के संबंध में घटना के फरियादी डी.एन.सिंह सिक्थोरिटी मैनेजर एम.पी.आयरन एण्ड स्टील फैक्ट्री मालनपुर ने अपने साक्ष्य कथन में बताया कि दिनांक 20.05.2006 को सिक्थोरिटीगार्ड जो कि फैक्ट्री में ड्यूटी पर था सुबह 06:30 बजे सिक्थोरिटी सुपरवाइजर को फोन कर बताया कि एक चोर को पकड़ लिया गा है व उसके कब्जे से दो बाई सेव, लोहे की ग्रेल व सुरक्षा जाली जप्त की गई है। सुबह 08:15 बजे जब फैक्ट्री में आया तो उसने दखे कि सिक्थोरिटी गार्ड मेन गेट पर आरोपी को लिए बैठा था और पास में ही ठेले पर लोहे की सुरक्षा और दो लोहे के ऐंगल रखे हुए थे और सुरक्षा वालों के द्वारा बताया गया कि आरोपी के द्वारा चोरी की जाकर उक्त सामान झाड़ियों में रखा गया था। तत्पश्चात् लिखित आवेदनपत्र थाने में दिया गया जो कि प्र.पी. 1 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिस पर से पुलिस थाना मालनपुर के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 कायम की गई थी। पुलिस वाले आरोपी को मय सामान के थाने ले गए थे। पुलिस ने मौके पर आकर नक्शामौका प्र.पी. 3 बनाया था। पुलिस ने थाने में लाया गया हाथ ठेला व जाली की जप्ती कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 4 बनाया था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं आरोपी को गिरफ्तार गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 5 बनाया था।

08. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी राधेसिंह परिहार अ0सा0 4 के द्वारा बताया गया है कि अज्ञात चोरों के द्वारा एम.पी.आयरन फैक्ट्री की गिरेल तोड़कर उसे हाथ ठेले पर ले जा रहे थे उसे बाद में पता चला था कि आरोपी के द्वारा चोरी की घटना की गई है। पुलिस ने लोहे की जाली और एक ठेला चार पहिया जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 4 बनाया था और आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 5 बनाया था।

09. साक्षी पी.एस.तोमर अ0सा0 5 तत्कालीन थाना प्रभारी मालनपुर जिन्होंने कि

सिक्वोरिटी मैनेजर डी.एन.सिंह के लिखित आवेदनपत्र पर अपराध क्रमांक 70/06 धारा 379 भा0दं0वि0 का पंजीबद्ध करना बताया है। साक्षी प्रधान आरक्षक मैथलीशरण गुप्ता अ0सा0 3 जिन्होंने कि आरोपी भगतराजा को गिरफ्तार करना तथा गवाहों के समक्ष लोहे की जाली दो, ऐंगल, एक काठ का ठेला चार पहिये का जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 4 बनाया था एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 5 बनाया था एवं साक्षी डी.एन.सिंह, राधेसिंह और दीपक के कथन लेखबद्ध किये थे।

10. घटना के फरियादी/रिपोर्टकर्ता डी.एन.सिंह अ0सा0 2 के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है। उक्त साक्षी के द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा सूचना दी जाने पर थाने में दर्ज कराई गई है, इस संबंध में उनके द्वारा यह बताया गया है कि आरोपी भगतराजा को फैक्ट्री से चुराए गए सामान को ठेले में ले जाते हुए उसके सुरक्षा कर्मचारियों के द्वारा पकड़ा गया था और बाद में थाने में जाली की जप्ती कर जप्ती पंचनामा बनाया था। उपरोक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन के द्वारा फैक्ट्री में घटना के समय मौजूद सुरक्षाकर्मी बसंततमंग अ0सा0 2 के रूप में मुख्य परीक्षण हुआ है, किन्तु उक्त साक्षी का कोई भी प्रतिपरीक्षण आरोपी की ओर से नहीं हुआ है। इस संबंध में कथन और आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 28.06.2007 को उक्त साक्षी का मुख्य परीक्षण हुआ है, किन्तु शोक सभा होने के कारण प्रतिपरीक्षण न हो पाना आदेश पत्रिका में उल्लेखित है। इसके पश्चात् उक्त साक्षी को प्रतिपरीक्षण हेतु पेश नहीं किया गया है। ऐसी दशा में जबकि साक्षी बसंत का कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है उसका साक्ष्य कथन पढ़ने योग्य नहीं है।

11. इस संबंध में साक्षी राधेसिंह परिहार अ0सा0 4 के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में उसे बाद में चोरी के संबंध में पता चलना बताया है, जबकि अभियोजन प्रकरण के अनुसार उक्त साक्षी जो कि फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर है के द्वारा आरोपी को देखा गया था और उसके द्वारा अपने अधिकारियों को सूचना दी गई थी।

12. घटना के विवेचना अधिकारी मैथलीशरण गुप्ता अ0सा0 3 जो कि आरोपी से ऐंगल वाली जाली की जप्ती करना बता रहे हैं और इस संबंध में घटनास्थल का नक्शामौका भी उनके द्वारा बताया जाना अभिकथित किया है। जप्ती के साक्षी डी.एन.सिंह अ0सा0 1 तथा राधेसिंह परिहार अ0सा0 4 के द्वारा आरोपी से जप्ती होने की कार्यवाही की पुष्टि की है जो कि इस संबंध में विवेचना अधिकारी के द्वारा स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि ऐंगल व जाली दिनांक 25.05.2006 को ही बरामद की थी और थाने पर ही जप्ती की गई थी। फरियादी खुद आरोपी को थाने पर लेकर आया था। इस प्रकार आरोपी से जप्ती की कार्यवाही का जहाँ तक प्रश्न है, निश्चित तौर से साक्षी डी.एन.सिंह अ0सा0 1 व राधेसिंह

परिहार अ0सा0 4 के कथनों से आरोपी से उक्त वस्तुओं की जप्ती होना प्रमाणित है और जप्ती की कार्यवाही कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 4 बनाया जाना विवेचना अधिकारी मैथलीशरण गुप्ता अ0सा0 3 के कथनों से भी स्पष्ट है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 में भी स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि रिपोर्ट लिखाते समय ही आरोपी को थाने में चोरी के सामान सहित लाया गया जैसा कि प्र.पी. 1 की रिपोर्ट में उसके लिए जाने और उसके नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख है।

13. इस प्रकार जबकि आरोपी को घटनास्थल के पश्चात् ही घटना के उपरांत पकड़ लिया गया था और आरोपी के आधिपत्य से घटना के तुरंत पश्चात् चोरी की विषयवस्तु की जप्ती हुई है। आरोपी को फरियादी एवं साक्षियों के द्वारा घटना में किसी रंजिश के कारण झूठा लिप्त किया जा रहा हो और उसके विरुद्ध कथन किया जा रहा हो ऐसा मानने का कोई आधार नहीं है। इस संबंध में बचाव पक्ष के रूप में स्वयं आरोपी भगतराजा व0सा0 1 के द्वारा उसके विरुद्ध रंजिशन कार्यवाही किये जाने के बारे में बताया है, किन्तु कम्पनी के अधिकारियों एवं सुरक्षा कर्मचारियों से उसकी कोई रंजिश रही हो ऐसा कहीं भी प्रमाणित नहीं है।

14. इस प्रकार घटना के पश्चात् चोरी का सामान आरोपी से बरामद होने के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अंतर्गत यह उपधारणा की जाएगी कि चोरी आरोपी के द्वारा ही की गई है। इस परिप्रेक्ष्य में अभियोजन का प्रकरण आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित पाया जाने में अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकरण की वैधानिक या तथ्यात्मक भूल की जानी दर्शित नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उसके समक्ष आई हुई साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में और साक्ष्य पर उचित रूप से विचार करते हुए आरोपी के विरुद्ध दोषसिद्ध होना प्रमाणित पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्ध आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप अथवा फेरबदल करने का कोई आधार होना दर्शित नहीं होता है।

15. तदनुसार अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी भगतराजा कुर्मी को धारा 379 भा0द0वि0 के अंतर्गत ठहराई गई दोषसिद्धि अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य के आधार पर उचित होनी पाई जाती है। आरोपी की दोषसिद्धि स्थिर रखी जाती है।

16. आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया आरोपी का पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड भी नहीं रहा है। वह सन् 2006 से विचारण का सामना कर रहा है, उसके विरुद्ध कोई अन्य दोषसिद्धि होनी या उसका कोई आपराधिक प्रकरण भी नहीं है। ऐसी दशा में आरोपी/अपीलार्थी को आपराधिक परवीक्षा अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के प्रावधानों का लाभ प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

17. आरोपी जो कि सन् 2006 से लगातार न्यायालय में उपस्थिति हो रहा है, उसके विरुद्ध अन्य कोई दोषसिद्धि भी प्रमाणित नहीं है। अपराध धारा 379 भा0द0वि0 का प्रमाणित

होना पाया गया है। अपराध जो कि ऐंगल मूल्य 1200/- रूपए की चोरी से संबंधित है। विचारोपरांत अपराध की प्रकृति परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी का कोई पूर्व का आपराधिक रिकार्ड नहीं है, उसे आपराधिक परवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के अनुसार दण्डादेश देने के बजाय परवीक्षा पर छोड़ा जाना उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आरोपी को प्रदत्त की गई 6 माह के सश्रम कारावास की सजा और पांच सौ रूपए अर्थदण्ड और अर्थदण्ड के व्यत्क्रम में एक माह के साधारण कारावास की सजा को अपास्त करते हुए आरोपी के द्वारा 5000/-रूपए के बंधपत्र सदाचार के लिए और शांति बनाए रखने के लिए तथा किसी आपराधिक क्रिया कलाप में सम्मिलित न होने के संबंध में जो कि दो वर्ष की अवधि का होगा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए तो उसे निर्मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। यदि उसके द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो वह सजा भुगतने हेतु तत्पर रहे।

18. जप्तशुदा वस्तु की सुपुर्दगी के संबंध में अधीनस्थ विचारण न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है। आरोपी के जमानत मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं।

19. आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख आवश्यक कार्यवाही हेतु बापस किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड